राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या–प0नि0 30–12/2015 2150

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
नालन्दा।

पटना, दिनांक– 13.05.24

विषय :– प्रखंड इस्लामपुर के उप प्रमुख के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के संबंध में।
प्रसंग:– आपका पत्रांक 937 दिनांक 25.04.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के फलस्वरूप रिक्त पद पर निर्वाचन कराने हेतु आयोग को प्रतिवेदन/प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं, जिनके समीक्षोपरान्त **प्रखंड इस्लामपुर के उप प्रमुख** के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव बैठक में निम्न तथ्य पाये गये हैं :–

1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, इस्लामपुर द्वारा पूर्व से निर्धारित बैठक की तिथि को स्थगित करते हुए बैठक की नई तिथि निर्धारित की गई है।
2. अविश्वास प्रस्ताव संबंधित बैठक की सूचना संबंधी तामिला एक सदस्य को नहीं कराया गया है।

विदित हो कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 157 में अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने हेतु विशेष बैठकों के संचालन के संबंध में जिला दण्डाधिकारी को शक्ति प्रद्त्त है न कि प्रखंड विकास पदाधिकारी को।

उक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि प्रासंगिक पत्रों द्वारा संदर्भित विषय में बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 157 के तहत् वैधानिक परीक्षण के उपरान्त नियमानुसार आदेश पारित करते हुए प्रस्ताव भेजने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
13/05/24
विशेष कार्य पदाधिकारी।

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847, E-mail: secbihar@gmail.com